

फा.सं. 42/09/2020-पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 25 जनवरी, 2021

संकल्प

इस विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 2018 के संकल्प सं 42/12/2017-पी एंड पीडब्लू (जी) के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए गठित स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ स्कोवा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

(क) राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) :- अध्यक्ष

(ख) सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग :- संयोजक और सदस्य सचिव

(ग) सरकारी सदस्य:-

- i. वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- ii. रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
- iii. रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि
- iv. डाक विभाग के प्रतिनिधि
- v. दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि
- vi. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

(घ) गैर सरकारी सदस्य (15 पेंशनर्स संघ)

(i) स्थायी समूह (5 संघ)

क्रम सं.	पेंशनर्स संघ का नाम
1.	एनएफ रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, रेस्ट कैंप पाहू, गुवहाटी- 781012, असम
2.	केन्द्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन (सीजीपीए)। 14, यमुना बाड़ी, शिव कालोनी, टोंक रोड, जयपुर 302015, राजस्थान
3.	केन्द्रीय सरकार पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीजीपीडब्ल्यूए), सामुदायिक केंद्र, केन्द्रीय बिहार लाइब्रेरी, सेक्टर 51, नोएडा- 201303
4.	तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लोग. स. 10. आर आर लेआउट, फरक्का नगर पसुमलै, मदुरै- 625004, तमिलनाडु।
5.	बडोदा सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन, रावपुरा, श्री अपार्टमेंट, शंकर पोल, पुलिस स्टेशन के सामने, वडोदरा-390001, गुजरात

(ii) चक्रीय समूह (10 संघ)

क्रम सं.	पेंशनर्स संघ का नाम
1.	ऑल इंडिया एक्स-पैरा मिलिट्री पर्सोनल एसोसिएशन (रजि.), बीएसएफ कैंपस, जालंधर-144601, पंजाब
2.	रेलवे सिनियर सिटिजन वेलफेयर सोसायटी, 32, फेस-6, एसएस नगर, मोहाली-160055, पंजाब
3.	ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ पेंशनर्स, सी-589, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश
4.	सेंट्रल सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन, ए-12, चेतक पुरी, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश
5.	रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ए-मैनुअल हाल, रेलवे को. बैंक के पास, शेक्षाद्री अय्यर रोड, मैसूर-570021, कर्नाटक
6.	ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ पेंशनर्स (सिविल एवं मिलिट्री), अलथरा जंक्शन, वैलायमबलम, पी.पी. सस्थामंगलम, तिरुवनंतपुरम-695010, केरल
7.	डिफेंस अकाउंट पेंशनर्स एसोसिएशन, c/o पीसीडीए (दक्षिणी कमांड) न. 1, फाईनेंस रोड, पुणे, महाराष्ट्र-411001
8.	सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.), जम्मू ओलंपिक एसोसिएशन बिल्डिंग, परेड, जम्मू-180001
9.	पोस्टल अकाउंट एवं ऑडिट पेंशनर्स एसोसिएशन, तिरथरूप, 63, धरमपेट हाऊसिंग सोसायटी लेआउट नंबर 3, दीनदयाल नगर, नागपुर, महाराष्ट्र
10.	एक्स-डिफेंस एम्प्लॉयी वेलफेयर एसोसिएशन, भोईसही (करंजिया), केवी के पास, पोस्ट ऑफिस-बालासोर, बालासोर, उड़ीसा-756001

2. इस संकल्प के माध्यम से पुनर्गठित स्कोवा का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। स्थायी समूह के सदस्य स्कोवा में सम्मिलित होने की तारीख से दो वर्ष की तीन अवधि (कुल छह वर्ष) के लिए या अध्यक्ष, स्कोवा के आदेशों, जो भी पहले हो तक कार्य करेंगे। चक्रीय समूह के सदस्य स्कोवा में सम्मिलित होने की तारीख से दो साल के एक कार्यकाल के लिए सेवा करेंगे तथा एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे अथवा जो भी पहले हो तक कार्य करेंगे।

3. स्कोवा यथावश्यक रूप से अपनी बैठकों का आयोजन करेगी। तथापि, वर्ष में कम से कम एक बार यह अपनी बैठक अवश्य आयोजित करेगी।

4. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी:-

(i) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान करने के लिए।

(ii) नीतिगत पहलों पर चर्चा करने और उनकी समीक्षात्मक जांच करने के लिए, तथा:

(iii) सरकारी कार्रवाई की अनुपूर्ति के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को गतिशील करने के लिए।

5. स्कोवा की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाला यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एसआर 190 के उपबंधों और भारत सरकार द्वारा उसके अधीन समय-समय पर जारी आदेशों तथा इस विभाग के दिनांक 19.05.2014 के पत्र सं. 42/11/2014-पीएंडपीडब्ल्यू(जी) के अनुसार देय होंगे।

6. इसके लिए किया जाने वाला व्यय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वीकृत बजट अनुदान से किया जाएगा।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

आदेश

- आदेश दिया है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय।
फरीदाबाद

प्रतिलिपि:

1. सभी स्कोवा सदस्य
2. संयुक्त सचिव (ईव), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव भूतपूर्व सैनिक एवं कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव (सीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7. कार्यकारी निदेशक (स्था), रेल मंत्रालय
8. डीडीजी (स्था), डाक विभाग।
9. डीडीजी (स्था), दूरसंचार विभाग।
10. रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए)
11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) के निजी सचिव
2. सचिव (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) के प्रधान निजी सचिव
3. निदेशक, एनआईसी, तृतीय तल, लोकनायक भवन - इस संकल्प को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।